संचालक (निदेशक) के रिक्त पद की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित हैं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन

क्रमांक/ 635/2023 भोपाल, दिनांक 01/06/2023

<u>विज्ञप्ति</u>

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. के अंतर्गत संचालित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित संस्था म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति में संविदा पर संचालक (निदेशक) के रिक्त 01 पद (अनारक्षित) की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

अर्हता एवं सेवा शर्तों का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.prd.mp.gov.in पर उपलब्ध है। जानकारी कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 0755-2675768 पर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 07/07/2023 को दोपहर 03:00 बजे तक विकास आयुक्त कार्यालय द्वितीय तल विंध्याचल भवन भोपाल में रजिस्टर्ड डाक / स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते है।

उप सचिव 01/06/23

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

संचालक म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति के रिक्त पद पर भर्ती हेतु

नियम पुस्तिका

म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई है। समिति के शीर्ष पद पर संचालक की नियुक्ति का प्रावधान है। म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन मनरेगा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजना अंतर्गत कार्यों की सामाजिक लेखा संपरीक्षा कार्य में सहयोगी एजेन्सी के रूप में म.प्र. सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत दिनांक 02 जनवरी 2013 को किया गया है।

अर्हता -

सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

आयु सीमा -

भर्ती के समय आवेदक की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

कार्यावधि -

संचालक (निदेशक) की सेवा अवधि 03 वर्ष होगी। सेवा अवधि को अधिकतम 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक शासी निकाय के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकेगा।

मानदेय -

संचालक (निदेशक) का मानदेय 01 लाख रूपये प्रतिमाह देय होगा।

निर्हता -

संचालक (निदेशक) पद हेतु उसी सोशल आडिट यूनिट में कार्यरत पदधारी पात्र नहीं होगा।

पदच्युति -

संचालक (निदेशक) की समय से पहले सेवायें शासी निकाय के परामर्श पर राज्य शासन द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

चयन प्रक्रिया -

न्यूनतम अर्हता धारित करने वाले आवेदकों का चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के उपरांत संचालक (निदेशक) के पद पर अंतिम चयन किया जावेगा। साक्षात्कार के कुल अंक 20 होंगे।